



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052020-219408
CG-DL-E-16052020-219408

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1345]
No. 1345]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2020/वैशाख 25, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2020/VAISAKHA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2020

का. आ. 1504 (अ). — केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“22.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 (नई रारा सं. 32, 132, 38, 83 और 183) [चेन्नै – त्रिची – डिंडीगुल खंड के किमी 27.8 से किमी 421.650 और किमी 2.750 से किमी 73.40 (डिंडीगुल – थेनी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 45ए (नई रारा सं. 32 और 332), सं. 47 (नई रारा सं. 544) किमी 141/0 से प्रारंभ होकर किमी 171.200 पर पुनः मिलने वाला कोयंबटूर बाइपास, रारा सं. 49 (नई रारा सं. 87 और 85) [किमी 5.000 से किमी 118.795 (मदुरै – परमाकुडी – रामनाथपुरम खंड) और किमी 36.00 से किमी 64.00 तथा किमी 80.00 से किमी 96.00 (मदुरै – थेनी- तमिलनाडु/केरल सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 67 (नई रारा सं. 83, 81 और 181) [किमी 0.000 से किमी 218.200 तक खंड को छोड़कर], (नागापटिनम – तंजावूर – त्रिची – करूर तक) और [किमी 323.850 से किमी 380.000 (कंगायमपलयम – मुत्तूपलयम तक खंड को छोड़कर], सं. 207 (नई रारा सं. 648), सं. 208 (नई रारा सं. 744), [किमी 163.000 से किमी 231.600 (तिरुमंगलम – राजापलयम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 209 (नई रारा सं. 83) [किमी 0.000 से किमी 35.822 (कमलापुरम – ओडुनचतरम खंड) और किमी 29.000 से किमी 74.380 (ओडुनचतरम – मडाथुकुलम खंड) तथा किमी 74.380 से किमी 116.950 (मडाथुकुलम – पोल्लाची खंड) और किमी 23.230 से किमी 30.900 (ओडुनचतरम बाइपास) तथा किमी 123.550 से किमी 150.400 (पोल्लाची – कोयंबटूर खंड), नई रारा सं. 179ए [किमी 00.00 से किमी 35.600 (सलेम – ए. पल्लीपट्टी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 210 (नई रारा सं. 336 और 536) [किमी 10.000 से किमी 174.000 (त्रिची – करईकुडी – देवाकुट्टई – रास्ता – करईकुडी – रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 219 (नई रारा सं. 42), सं. 226 (नई रारा सं. 135) (पेरांबलूर – पेराली – कीलापाल्लूर – अरियालूर – कुन्नम – तिरुवईयारू – कांडियूर – तंजावूर खंड), सं. 230 (नई रारा सं. 85), रारा सं. 234 (नई रारा सं. 75 और 38), और नई सं. 381 के उतने भाग जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं।	तमिलनाडु राज्य सरकार”

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1366(अ), दिनांकित 24 अप्रैल, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2020-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2020

S.O. 1504(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road

Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“22	So much of National Highway No. 45 (New NH No. 32, 132, 38, 83 and 183 [excluding from Km 27.8 to 421.650 of Chennai-TrichyDindigul Section and from Km 2.750 to Km. 73.40 (Dindigul-Theni Section), No. 45A (New NH No. 32 and 332), No. 47 (new NH No. 544) Coimbatore bypass commencing from Km 141/0 and rejoining at Km 171.200, No.49 (New NH No. 87 and 85) [excluding from Km. 5.000 to Km. 118.795 (Madurai-Paramakudi-Ramanathapuram section) and from Km 36.00 to Km 64.00 and from Km 80.00 to Km. 96.00 (Madurai-Theni-TN/KL border section)], No. 67 (New NH No. 83, 81 and 181) [excluding from Km. 0.000 to Km. 218.200] (Nagapatinam-Thanjavur-Trichy-Karur section) and [excluding from Km 323.850 to km 380.000 (Kangayampalayam- Mettupalayam section)], No. 207 (New NH No. 648), No. 208 (New NH No. 744) [excluding from Km 163.000 to Km 231.600 (Thirumangalam-Rajapalayam Section)], No. 209 (New NH No. 83) [excluding from Km. 0.000 to Km 35.822 (Kamalapuram - Oddanchatram section) and from Km. 29.000 to Km 74.380 (Oddanchatram – Madathukulam section) and from Km 74.380 to Km 116.950 (Madathukulam – Pollachi section) and from Km. 23.230 to Km 30.900 (Oddanchatram Bypass) and from Km 123.550 to Km 150.400 (PollachiCoimbatore Section)], New NH No. 179A [excluding from km 00.00 to km 35.600 (Salem-A.Pallipatty Section)], No. 210 (New NH No. 336 and 536) [excluding from km. 10.000 to km. 174.000 (TrichyKaraikudi-Devakottai----Rastha-Karaikudi--Ramanathapuram section)], No. 219 (New NH No. 42), No. 226 (New NH No. 135) (PerambalurPerali-Keelapalur- Ariyalur- Kunnam- Thiruvaiyaru- KandiyurThanjavur section), No. 230 (New NH No. 85), No. 234 (New NH No. 75 and 38), and No. 381 as are situated within the State of Tamil Nadu.	State Government of Tamil Nadu”

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1366 (E), dated the 24th April, 2020.

[F. No. NH-14013/4/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2020

का. आ. 1505.(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में – तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अनुसार उक्त सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

तालिका

नया रारा संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	चैनेज	लंबाई (किमी में)
83	कमलापुरम के पास रारा-7 (नया रारा-44) की मौजूदा श्रृंखला 390.400 से- लक्क्यनकोटि (ओडडांचतरम बाईपास) -विरूपतची (ओडडांचतरम बाईपास) - वेदापपट्टी- मौजूदा चैनेज 125.300 रारा-	रारा-7 (नया रारा 44 का) किमी 390.400 से रारा 209 (नया रारा-83) का किमी	160.722

	209 की (नया रारा-83) अचीपट्टी-अनजीनारकोवील के पास। (तमिलनाडु राज्य में)	125.300	
785	मदुरै- चेट्टीकुलम- नाथम- थववरंकुरिची (तमिलनाडु राज्य में)	किमी 0.000 से किमी 61.115	61.115

[फा. सं. एनएच-14013/4/2020-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2020

S.O. 1505(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

New NH No.	Section of National Highways	Chainage	Length (in Km)
83	From existing chainage 390.400 of NH-7 (New NH-44) near Kamalpuram- Lakkayankotti (Oddanchatram bypass)- Virupatchi (Oddanchatram bypass)- Vedappatti- existing chainage 125.300 of NH-209 (New NH-83) near Achipatti- Anjinayar Kovil. (In the state of Tamil Nadu)	Km. 390.400 of NH-7 (New NH-44) to Km. 125.300 of NH-209 (New NH-83)	160.722
785	Madurai- Chettikulam- Natham- Thuvarankurichi (In the state of Tamil Nadu)	Km. 0.000 to Km. 61.115	61.115

[F. No. NH-14013/4/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.